



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 20, 2019/वैशाख 30, 1941

No. 168]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 20, 2019/VAISAKHA 30, 1941

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

हैदराबाद, 15 मई, 2019

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) (संशोधन) विनियम, 2019

फा. सं. भा.बी.वि.प्रा./विनियम/5/156/2019.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (जेडडी) एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धाराओं 14 और 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- क. ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) (संशोधन) विनियम, 2019 कहलाएँगे।
ख. ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 में -

क. विनियम 6 में-

- i) उप-विनियम 6(ख) के बाद निम्नलिखित को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ग): व्यवसाय की निरंतरता के लिए, बीमाकर्ता को एक वर्ष से आगे अतिरिक्त अवधि के लिए विनियम 5 से छूट की आवश्यकता हो सकती है। बीमाकर्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर और मामले के गुण-दोष के आधार पर अध्यक्ष दो वर्ष से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिए समय-विस्तार प्रदान कर सकता है।”

डॉ. सुभाष सी. खुंटा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा. /53/19]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

Hyderabad, the 15th May, 2019

**Insurance Regulatory and Development Authority of India
(Appointed Actuary) (Amendment) Regulations, 2019**

F. No. IRDA/Reg/5/156/2019.—In exercise of the powers conferred by clause (zd) of subsection (2) of Section 114A of Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following amendment to the IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017, namely: -

1. Short title and commencement
 - a. These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointed Actuary) (Amendment) Regulations, 2019.
 - b. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017-
 - a. In Regulation 6-
 - i) the following shall be inserted after sub-regulation 6(b), namely: -

“(c): For business continuance, the insurer may need exemption from Regulation 5 for a further period beyond one year. Upon request of the insurer and based on merits of the case, the Chairperson may grant extension for a further period not exceeding two years.”

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./53/19]